

15579 पत्रकारिता में प्रवेश है। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में रूचि नहीं लेते। पधारें हैं।
आयपत्र के अतिरिक्त का प्रस्ताव दिनांक 15-5-79
को पेश है।



15579 पत्रकारिता में प्रवेश है। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में रूचि नहीं लेते। पधारें हैं।
आयपत्र के अतिरिक्त का प्रस्ताव दिनांक 15-5-79
को पेश है।



11679 आय पत्र के अतिरिक्त उक्त पत्रकारिता
विशेष पत्रकारिता के अतिरिक्त विदेश
के अतिरिक्त विदेश के अतिरिक्त विदेश
का अतिरिक्त विदेश के अतिरिक्त विदेश
विदेश के अतिरिक्त विदेश के अतिरिक्त विदेश
विदेश के अतिरिक्त विदेश के अतिरिक्त विदेश
विदेश के अतिरिक्त विदेश के अतिरिक्त विदेश
विदेश के अतिरिक्त विदेश के अतिरिक्त विदेश

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-बास जिला अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

प्रवेश तिथि

3.12.18

निर्णय दिनांक

11.6.19

उनवान

II देवी पत्नी श्री चुन्नीलाल जाति अहीर साकिन बोलनी तहसील किशनगढबास जिला

-वादीया:-

राम पुत्र श्री श्रीराम जाति अहीर साकिन बोलनी

सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास

प्रबंधक अलवर भरतपुर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा भिण्डूसी तहसील

गनगढबास जिला अलवर।

-प्रतिवादी:-


दावा अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०एक्ट०

- उपस्थिति:-1. श्री रतीराम चौधरी वकील वादीया की ओर से।
2. श्री संतोष कुमार गुप्ता वकील प्रति० नं० 1 की ओर से।
पर्चा डिकी

वादीया बाबल तकासमा आराजी मुताबिक कुरें कायमी रिपोर्ट डिकी-किया जाकर आदेश
हैं कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी निम्नानुसार उनके कब्जे काश्त
रहेगी:-

नाम खातेदार काश्तकार	ख०न०	रकबा	वाके ग्राम
राजाराम पुत्र श्री श्रीराम अहीर सा० देह खातेदार राहिन एबीएजीबी भिण्डूसी	12 मि०/1	0.40	बोलनी
बिरमा देवी पत्नी चुन्नीलाल अहीर सा०देह खातेदार	12 मि०/2	0.16	बोलनी

ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर खाता व लगान पृथक से कायम किये जाने
देये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्तावित नजरी नक्शा डिकी का जुन रहेगा।
न अपना- अपना वहन करेंगे।


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपकारिताधिकारी किशनगढ़ - बास जिला - अलवर
=====

अध्यासित द्वारा :-

श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

दावा संख्या
153

पेश तिथि
3-12-18

निर्णय तिथि
11-6-19

उपनाम

- 1- बीरमा देवी पत्नी श्री सुन्नीलाल जाति अहीर साकिन बोलनी तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-वादीया
- 2- राजाराम पुत्र श्री श्रीराम जाति अहीर साकिन बोलनी बनाम
- 3- राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़-बास
- 3- शाखा प्रबन्धक अलवर भरतपुर ग्रामिण आंचलिक बैंक शाखा भिखरूजी तहसील तिजारा जिला अलवर :-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट.
उपस्थिति :- 1- श्री रतीराम चौधरी वकील वादीया की ओर से ।
2- श्री सन्तोष कुमार गुप्ता वकील प्रति. नं. 1 की ओर से ।
::निर्णय::

पञ्चावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म हृतान्त निम्न प्रकार से हैं :-
वादीया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. आ.सं. 12
रकबा 2बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढ़-बास के संबंध
में पेश किया। बाद आवश्यक कार्यवाही वादीया का वाद न्यायालय
हाजा द्वारा दिनांक 30-4-08 को प्रारम्भिक डिफ्री किया जाकर मौके
पर तहसीलदार किशनगढ़-बास को कुरें कायम कर कुरें कायमी रिपोर्ट
भिन्नवाने हेतु लिखा गया।

प्रतिवादी नं. 1 ने प्रारम्भिक डिफ्री से क्षुब्ध होकर मा. न्यायालय
आर.ए.एस. अलवर के न्यायालय में अपील दापर की जो अपील दिनांक 28-10-18
को खारिज होगई। इसके पश्चात् प्रति. नं. 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर में अपील दापर की जो अपील भी दिनांक 6-7-18 को खारिज
करदी गई। इसके पश्चात् पञ्चावली न्यायालय आज में प्राप्त होने पर
तहसीलदार किशनगढ़-बास को पुनः कुरें कायम कर रिपोर्ट भिन्नवाने हेतु
पत्र क्र. राज. कोर्ट/203 दिनांक 7-3-19 के द्वारा लिखा गया। तहसीलदार

किशनगढ़-बास ने कुरें कायमी कर रिपोर्ट अपने पत्र क्र. अ. 19/654
उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक 2-4-19 के द्वारा न्यायालय हाजा को भिखवाई कुरे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष के अभिप्रायकगण को सुना गया जिन्होंने मुताबिक रिपोर्ट वाद को फाईनल डिफ्री किया जाना स्वीकार किया।


हमने तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुरे कायमी रिपोर्ट एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाद बाबत तकासमा आराजी डिफ्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादीया बाबत तकासमा आराजी मुताबिक कुरे कायमी रिपोर्ट डिफ्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी निम्नानुसार उनके कब्जे काशत खातेदारी में रहेगी:-

क्र.	नाम खातेदार काशतकार	ख. नं.	रकबा	वाकेशाम
1-	राजाराम पुत्र श्री श्रीराम अहीर सा. देह खातेदार राहिन रबीसजीबी भिखूती	12मि./1	0.46	बोलनी
2-	बिरमा देवी पत्नी चुन्नीलाल अहीर सा. देह खातेदार	12मि./2	0.16	बोलनी

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर खाता व लगान पृथक से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्तावित नजरी नक्शा डिफ्री का जुज रहेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। पचा डिफ्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर जूले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखंडाधिकारी
किसानगढ़ - वास अलवर